प्ररूप—घ

समक्ष न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली, जिला— रायसेन (म.प्र.)

समक्ष : सुधांशु सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश

Registration No ST/248/2022
Filing No ST/1564/2022
CNR No. MP3805-001849-2022
Filing Date 18-10-2022

{निर्णय की दिनांक 05.10.2023}

{सत्र प्रकरण कमांक—ST-248/2022}

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध एवं आरक्षी केन्द्र का विवरण—अपराध क्र.—241/2017, आरक्षी केन्द्र उदयपुरा, जिला रायसेन, अंतर्गत धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भा.दं.वि.)

अभियोजन	मध्यप्रदेश शासन द्वारा, आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र उदयपुरा जिला रायसेन (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	(1) नवीन जाट, उम्र—27 वर्ष आत्मज—श्री शीशपाल जाट, निवासी—ग्राम नारा, जिला पानीपत हरियाणा, (2) मनोज, उम्र लगभग 33 वर्ष, आत्मज—श्री सूरजपाल गुर्जर, निवासी—ग्राम आसन कला, जिला पानीपत हरियाणा, (3) याशीन, उम्र लगभग—28 वर्ष, आत्मज—श्री फूलसिंह धोबी, निवासी—ग्राम मण्डी, जिला पानीपत हरियाणा, (4) संदीप, उम्र लगभग—30 वर्ष, आत्मज—श्री रघुवीर सिंह विश्वकर्मा, निवासी—ग्राम गोरछी चौकी, बाल समद, जिला हिसार हरियाणा (5) सुनील जाट, उम्र लगभग—28 वर्ष, आत्मज—श्री रामपाल जाट निवासी—ग्राम नारा, जिला पानीपत हरियाणा (6) कृष्ण शर्मा, उम्र—25 वर्ष आत्मज— महावीर शर्मा, निवासी—ग्राम नारा, जिला पानीपत हरियाणा (7) दीपक, उम्र लगभग—30 वर्ष,

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

	आत्मज— वेदसिंह जाट निवासी—ग्राम नारा, जिला पानीपत हरियाणा (8) रोहित जाट, उम्र लगभग—27 वर्ष, **(फरार)** आत्मज—सुरेन्द्र सिंह जाट, निवासी—मकान नंबर 542 विकास नगर, पानीपत हरियाणा (9) राहुल शर्मा, उम्र लगभग—25 वर्ष, आत्मज—ओमदत्त शर्मा, निवासी—ग्राम ढींगर माजरा, जिला करनाल हरियाणा (10) मंडीप जाट, उम्र लगभग—30 वर्ष, आत्मज—राजेन्द्र जाट, निवासी—ग्राम नारा, जिला पानीपत हरियाणा
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री धर्मेन्द्र दुबे अधिवक्ता।

प्ररूप—ड

अपराध की तारीख	14.08.2017
प्र.सू.रि. की तारीख	15.08.2017
आरोप—पत्र की तारीख	29.12.2017
आरोपों की विरचना की तारीख	06.12.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	06.12.2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	05.10.2023
निर्णय की तारीख	05.10.2023
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
अ. 1	नवीन जाट	14.08. 2017	21.08. 2017	धारा 341, 147, 294,	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 14. 08.2017 से दिनांक 21.

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

				148, 323／149, 506 भाग दो भा.दं.सं.			08.2017 तक।
अ. 2	मनोज कुमार	14.08. 2017	21.08. 2017	धारा 341, 147, 294, 148, 323／149, 506 भाग दो भा.दं.सं. धारा 25 (1–बी) ए आयुध अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 14. 08.2017 से दिनांक 21. 08.2017 तक।
अ. 3	याशीन धोबी	14.08. 2017	21.08. 2017	धारा 341, 147, 294, 148, 323／149, 506 भाग दो भा.दं.सं. धारा 25 (1–बी) बी आयुध अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 14. 08.2017 से दिनांक 21. 08.2017 तक।
अ. 4	संदीप सिंह	14.08. 2017	21.08. 2017	धारा 341, 147, 294, 148, 323／149, 506 भाग दो भा.दं.सं.	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 14. 08.2017 से दिनांक 21. 08.2017 तक।
अ. 5	सुनील जाट	14.08. 2017	21.08. 2017	धारा 341, 147, 294, 148, 323／149, 506 भाग दो	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 14. 08.2017 से दिनांक 21. 08.2017 तक।

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

				भा.दं.सं.			
अ. 6	कृष्ण शर्मा	14.08.2017	21.08.2017	धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो भा.दं.सं.	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 14.08.2017 से दिनांक 21.08.2017 तक।
अ. 7	दीपक जाट	14.08.2017	21.08.2017	धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो भा.दं.सं. धारा 25 (1–बी) ए आयुध अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 14.08.2017 से दिनांक 21.08.2017 तक।
अ. 8	राहुल शर्मा	14.08.2017	21.08.2017	धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो भा.दं.सं.	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 14.08.2017 से दिनांक 21.08.2017 तक।
अ. 9	मंदीप जाट	14.08.2017	21.08.2017	धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो भा.दं.सं. धारा 25 (1–बी) ए आयुध अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 14.08.2017 से दिनांक 21.08.2017 तक।

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

5/10/23

अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

क. अभियोजन :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	मलखान	देहाती नालसी/पुलिस कथन साक्षी/नक्शा मौका
अ.सा. 2	टीकाराम	पुलिस कथन साक्षी
अ.सा. 3	मनमोहन	पुलिस कथन साक्षी
अ.सा. 4	चंद्रपाल राजपूत	आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन/जप्ती पत्रक/गिरफतारी पत्रक
अ.सा. 5	दयाशंकर मेहरा	आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन/जप्ती पत्रक/गिरफतारी पत्रक
अ.सा. 6	गोविंद	आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन/तलाशी पंचनामा
अ.सा. 7	श्याम सिंह	आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन साक्षी।
अ.सा. 8	भास्कर	पुलिस कथन साक्षी।
अ.सा. 9	देवेन्द्र राजपूत	पुलिस कथन साक्षी।
अ.सा. 10	नरेन्द्र सिह परिहार	विवेचक साक्षी।

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा. 1	–	–

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा. 1	–	–

5/10/23

अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :–

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1/अ.सा. 1, अ.सा. 10	देहाती नालसी
2	प्रदर्श पी. 2/अ.सा. 1	साक्षी क. 1 के पुलिस कथन।
3	प्रदर्श पी. 3/अ.सा. 1	घटना स्थल का नक्शा मौका।
4	प्रदर्श पी. 4/अ.सा. 2	साक्षी कं. 2 के पुलिस कथन।
5	प्रदर्श पी. 5/अ.सा. 3	साक्षी क.3 के पुलिस कथन
6	प्रदर्श पी. 6/अ.सा. 4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	मेमोरेण्डम कथन।
7	प्रदर्श पी. 7/अ.सा. 4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	मेमोरेण्डम कथन।
8	प्रदर्श पी. 8/अ.सा. 4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	मेमोरेण्डम कथन।
9	प्रदर्श पी. 9/अ.सा. 4, अ.सा. 5, अ.सा. 10	जप्ती पत्रक।
10	प्रदर्श पी. 10/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	जप्ती पत्रक।
11	प्रदर्श पी. 11/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	जप्ती पत्रक।
12	प्रदर्श पी. 12/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	जप्ती पत्रक।
13	प्रदर्श पी. 13/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	जप्ती पत्रक।
14	प्रदर्श पी. 14/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	गिरफतारी पत्रक।
15	प्रदर्श पी. 15/अ.सा. 7,अ.सा. 5, अ.सा. 10	गिरफतारी पत्रक।
16	प्रदर्श पी. 16/अ.सा.8, अ.सा.5, अ.सा. 10	गिरफतारी पत्रक।
17	प्रदर्श पी. 17/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	गिरफतारी पत्रक।
18	प्रदर्श पी. 18/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	गिरफतारी पत्रक।
19	प्रदर्श पी. 19/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	गिरफतारी पत्रक।
20	प्रदर्श पी. 20/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	गिरफतारी पत्रक।
21	प्रदर्श पी. 21/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	गिरफतारी पत्रक।
22	प्रदर्श पी. 22/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	गिरफतारी पत्रक।
23	प्रदर्श पी. 23/अ.सा.4,अ.सा. 5, अ.सा. 10	गिरफतारी पत्रक।
24	प्रदर्श पी. 24/अ.सा.6,अ.सा. 7, अ.सा. 10	मेमोरेण्डम कथन।
25	प्रदर्श पी. 25/अ.सा.6,अ.सा. 7, अ.सा. 10	मेमोरेण्डम कथन।

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

26	प्रदर्श पी. 26 / अ.सा.6,अ.सा. 7, अ.सा. 10	मेमोरेण्डम कथन।
27	प्रदर्श पी. 27 / अ.सा.6,अ.सा. 7, अ.सा. 10	मेमोरेण्डम कथन।
28	प्रदर्श पी. 28 / अ.सा.6,अ.सा. 7, अ.सा. 10	तलाशी पंचनामा।
29	प्रदर्श पी. 29 / अ.सा. 8	साक्षी कं. 8 के पुलिस कथन।
30	प्रदर्श पी. 30 / अ.सा. 9	साक्षी कं. 9 के पुलिस कथन।
31	प्रदर्श पी. 31 / अ.सा. 10	प्रथम सूचना रिपोर्ट।

ख. प्रतिरक्षा :

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	——	——

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	—	—

घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं. क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	एम.ओ.–01 / अ.सा. 10	देशी कट्टा 315 बोर का।
2	एम.ओ.–02 / अ.सा. 10	कारतूस का खोका।
3	एम.ओ.–03 / अ.सा. 10	माउजर।
4	एम.ओ.–04 / अ.सा. 10	जिंदा कारतूस।
5	एम.ओ.–05 / अ.सा. 10	जिंदा कारतूस।
6	एम.ओ.–06 / अ.सा. 10	जिंदा कारतूस।
7	एम.ओ.–07 / अ.सा. 10	जिंदा कारतूस।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली, जिला रायसेन म.प्र. (श्री वरूण चौहान) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण कमांक–548 / 2017 (आरक्षी केन्द्र उदयपुरा, के अपराध कमांक–241 / 17 अंतर्गत धारा 341, 294, 323, 506 / 34 भा.दं.सं. 1860) मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध नवीन आदि में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 11.10.2022 से उद्‌भूत सत्र प्रकरण।

5/10/23

अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

निर्णय

(आज दिनांक 05.10.2023 को घोषित)

1— **प्रस्तुत सत्र प्रकरण कमांक एस.टी./248/2022 आरक्षी केन्द्र उदयपुरा के अपराध कमांक 241/2017 से उद्भूत है जिसका काउन्टर सत्र प्रकरण एस.टी. 10/2019 आरक्षी केन्द्र उदयपुरा के अपराध कमांक 243/17 के साथ विचारण किया जा रहा है। उक्त दोनों ही सत्र प्रकरण में आज दिनांक को निर्णय पारित किया जा रहा है।**

2— अभियुक्त नवीन जाट, संदीप सिंह खाती, कृष्ण शर्मा, राहुल शर्मा, रोहित जाट, सुनील जाट के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 (जिसे निर्णय के अग्रिम प्रकम में ''भा.दं.वि.'' से संबोधित किया जायेगा) की धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो के अधीन एवं अभियुक्त याशीन के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (बी) के अधीन एवं अभियुक्त मंदीप जाट, दीपक, मनोज के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि, अभियुक्तगण ने दिनांक 14.08.2017 को 17:00 बजे या उसके लगभग मुन्ना के घर के सामने ग्राम बौरास, जिला—रायसेन, म0प्र0 में आहत मलखान, टीकाराम व मनमोहन को मार्ग अवरूद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया, सह—अभियुक्तगण के साथ आहतगण को कारित करने के सामान्य उद्देश्य से एकत्रित होकर विधि विरूद्ध जमाव कर उक्त उद्देश्य से उसके अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, आहतगण को लोकस्थान पर या उसके निकट गंदी—गंदी अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया, आहतगण के साथ विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य के रूप में घातक आयुध (माउजर, प्रिस्टल, तलवार) से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया, अभियुक्तगण ने अवैध समूह के सदस्य रहते हुये उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में संयुक्तः अथवा पृथकतः आहतगण को सख्त एवं बोथरी वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की, आहतगण को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियुक्त याशीन के द्वारा अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार तलवार जंग लगी हुयी जिसकी फल की लंबाई 2 फीट 15 सें.मी. मूठ की लंबाई 7.5 इंच रखा गया तथा अभियुक्त

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

मंदीप जाट के द्वारा एक देशी माउजर 32 बोर की एवं चार जिंदा कारतूस, अभियुक्त दीपक के द्वारा एक देशी कट्टा 15 बोर का जिसकी कुल लंबाई 9.5 इंच है एवं एक चला कारतूस एवं मनोज कुमार के द्वारा एक 12 बोर का देशी कट्टा जिसकी लंबाई 5.6 इंच कुल लंबाई 11.8 इंच, नाल की लंबाई 3.5 इंच अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के रखे पाये गये।

3— **प्रकरण में अभियुक्तगण को दिनांक 14.08.2017 को गिरफ्तार किया जाना तथा अभियुक्त रोहित को दिनांक 05.10.2023 को फरार घोषित किया जाना स्वीकृत तथ्य है। अतः उक्त प्रकरण शेष अभियुक्तगण के संबंध में पारित किया जा रहा है।**

4— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि फरियादी मलखान सिंह ने दिनांक 14.08.2017 को आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में इस आशय की देहाती नालसी प्रदर्श पी—01 लेखबद्ध करायी कि करीबन शाम को 05:00 बजे वह और टीकाराम मेहरा घर से नर्मदा जी तरफ जा रहे थे जैसे ही मुन्ना के घर के सामने रोड पर पहुंचे तभी मुन्ना के मकान में रहने वाले हरियाणा के तीन लोग आये जिनके नाम नवीन कुमार, मनोज, याशीन आये ओर उनका रास्ता रोक लिया तथा टीकाराम से बोले, रात को कौन—कौन थे, उसने कहा कि नहीं मालूम। तब तीनों ने उसको मुर्गा बना दिया तथा वेसवॉल से मारपीट करने लगे। वह बीच—बचाव करने गया तो उनके चार साथी मंदीप, सुनील, कृष्ण, दीपक आ गये, बोले इस मादरचोद को भी मारो, उसे बेसवॉल के डण्डे से मारने लगे तो उसे बांये कंधे, वांयी जांघ तथा सीने में चोट आयी, दस मिनिट बाद रोहित, लक्की, संदीप आये और उन दोनों से बोले कि इस बार तो बच गये अगली बार इधर दिखे तो जान से खत्म कर देंगे, तभी मनमोहन मेला आ गया तो उसे भी पत्थर से मारा जो सीने, सिर व अण्डकोष में लगा। टीकाराम को कमर, पीठ में चोटा आयी थी। ये लोग तलवार बगैराह भी रखे हुये थे। दिनांक 14.08.2017 को साक्षी मलखान सिंह के पुलिस कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। फरियादी की उक्त देहाती नालसी के आधार पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में अपराध क्रमांक—241/2017 अंतर्गत धारा 341, 294, 323, 506, 34 भा.दं.सं. के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी प्रकरण विवेचना में लिया गया।

5— विवेचना के दौरान दिनाक 15.08.2017 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी, जो प्रदर्श पी.—31 है। दिनांक 14.08.2017 को घटना स्थल का नक्शा मौका

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी–3 है। दिनांक 28.08.2017 को साक्षी टीकाराम एवं मनमोहन के पुलिस कथन प्रदर्श पी–4 एवं प्रदर्श पी–05 उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त मनोज कुमार, दीपक, मंदीप के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–06 लगायत प्रदर्श पी–08 साक्षी दयाशंकर एवं चंद्रपाल के समक्ष लेखबद्ध किये गये। उक्त दिनांक को अभियुक्त मंदीप, याशीन, मनोज कुमार, दीपक, नवीन से घटना में प्रयुक्त हथियार प्रदर्श पी–09 लगायत प्रदर्श पी–13 के जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया।

6– विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को अभियुक्तगण को प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–23 के माध्यम से गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्तगण के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–24 लगायत प्रदर्श पी–27 साक्षीगण के समक्ष लेखबद्ध किये गये। दिनांक 16.08.2017 को अभियुक्त मनोज, दीपक, मंदीप की तलाशी लेकर साक्षी भूरा उर्फ गोविंद एवं आरक्षक 41 श्याम सिंह के समक्ष तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–28 का तैयार किया गया। विवेचना के दौरान साक्षी भास्कर, देवेन्द्र के पुलिस कथन प्रदर्श पी–29 एवं प्रदर्श पी–30 उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये।

7– विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से माननीय सत्र न्यायालय रायसेन को दिनांक 11.10.2022 को उपार्पित किया और माननीय सत्र न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2022 द्वारा प्रकरण अंतरण पर इस न्यायालय को दिनांक 31.10.2022 को विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

8– पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 06.12.2022 को अभियुक्त नवीन जाट, संदीप सिंह खाती, कृष्ण शर्मा, राहुल शर्मा, रोहित जाट, सुनील जाट के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 (जिसे निर्णय के अग्रिम प्रक्रम में ''भा.दं.वि.'' से संबोधित किया जायेगा) की धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो के अधीन एवं अभियुक्त याशीन के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–बी) (बी) के अधीन एवं अभियुक्त मंदीप जाट, दीपक, मनोज के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–बी) (ए) के अंतर्गत आरोप विरचित

अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

कर, पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने अपराध किया जाना अस्वीकार कर, विचारण चाहा। अभियुक्तगण को बचाव साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्ष्य अपने पक्ष समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है।

9— <u>राजीनामा आवेदन का निराकरण</u> :— विचारण के मध्यक्रम में आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य परस्पर राजीनामा होना व्यक्त किया गया। आहतगण एवं अभियुक्तगण के द्वारा लिखित राजीनामा अंतर्गत धारा 320 (1), 320 (2) दं.प्र.सं. इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि, उभयपक्षों के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है। राजीनामा परस्पर सहमति से बिना किसी भय व दवाब के हुआ है। राजीनामा बिना किसी लोभ लालच के किया गया है। प्रस्तुत राजीनामा पर आहतगण द्वारा अपना फोटो चस्पा किया गया है।

10— अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 (जिसे निर्णय के अग्रिम प्रक्रम में ''भा.दं.वि.'' से संबोधित किया जायेगा) की धारा 341, 147, 294, 148, 323/149, 506 भाग दो के आरोप विरचित है। जिनमें से धारा 341, 323, 506 भाग—दो भा.दं. वि का अपराध घटना दिनांक को राजीनामा योग्य है तथा घटना दिनांक धारा 294, 147, 148, 149 के अपराध राजीनामा योग्य नहीं थे। अभियुक्त **याशीन** के विरूद्ध उक्त आरोपों के अतिरिक्त आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (ए) के भी आरोप विरचित किये गये है जो कि राजीनामा योग्य नहीं है तथा अभियुक्त **मंदीप जाट, दीपक, मनोज** के विरूद्ध घटना दिनांक को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (ए) के भी आरोप विरचित किये गये है जो कि राजीनामा योग्य नहीं है। राजीनामा स्वेच्छया किया गया है। फलतः प्रस्तुत राजीनामा भागतः स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्तगण को धारा 320 (8) द.प्र.स. के अंतर्गत धारा 341, 323, 506 भाग—दो भारतीय दण्ड संहिता अनुपालन में दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 147, 148, 149, 294 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 25 (1—बी) (ए) एवं धारा 25 (1—बी) (बी) आयुध अधिनियम के संबंध में निर्णय पारित किया जा रहा है।

11— प्रस्तुत प्रकरण के विधिपूर्ण निराकरण हेतु अग्रलिखित विचारणीय प्रश्न न्यायालय के सम्मुख हैं।

1— क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर सह—अभियुक्तगण के साथ आहतगण को उपहति कारित करने

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

के लिये सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधिपूर्ण जमाव का घटना किया जो कि घातक आयुध से सुसज्जित था तथा सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में आहतगण को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा लोक स्थान पर अश्लील शब्दो का उच्चारण कर आहतगण एवं अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?

2— क्या अभियुक्त याशीन ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार तलवार जंग लगी हुयी जिसकी फल की लंबाई 2 फीट 15 सें. मी. मूठ की लंबाई 7.5 इंच रखा गया ?

3— क्या अभियुक्त मंदीप जाट ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक देशी माउजर 32 बोर की एवं चार जिंदा कारतूस रखे हुये पाये गये ?

4— क्या अभियुक्त दीपक ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक देशी कट्टा 15 बोर का जिसकी कुल लंबाई 9.5 इंच है एवं एक चला कारतूस रखे हुये पाये गये ?

5— क्या अभियुक्त मनोज ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक 12 बोर का देशी कट्टा जिसकी लंबाई 5.6 इंच कुल लंबाई 11.8 इंच, नाल की लंबाई 3.5 इंच रखे हुये पाये गये ?

6— दोषसिद्धि या दोषमुक्ति ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक–01 लगायत 05 के संबंध में

12— विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगायत 05 एक ही घटना कम से संबंधित होने के परिणामस्वरूप दोनों ही विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण, साक्ष्य की पुनरावर्ती को प्रतिवेदित किये जाने के दृष्टिगत एक साथ किया जा रहा है।

अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

13— अभियोजन पक्ष की ओर से पक्ष समर्थन में अभियोजन साक्षी मलखान (अ.सा.क.—01), टीकाराम (अ.सा.क02), मनमोहन (अ.सा.क.—03), चंद्रपाल राजपूत (अ. सा.क.—04), दयाशंकर मेहरा (अ.सा.क.—05), गोविंद (अ.सा.क.—06), श्याम सिंह (अ.सा. क.—07), भास्कर (अ.सा.क.—08), देवेन्द्र राजपूत (अ.सा.क.—09), नरेन्द्र सिंह परिहार (अ.सा.क.—10) के कथन अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत किये हैं।

14— अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत अभियोजन साक्षी मलखान (अ.सा.क.—01) का न्यायालय कथन है कि, आरोपीगण को व आहत टीकाराम और मनमोहन को जानता है। साक्षी का कथन है कि उसके साथ कोई घटना कारित नहीं हुयी है। घटना दिनांक को बहुत भीडभाड थी और वह भीड में गिर गया था जिससे चोट लग गयी थी। साक्षी ने प्रदर्श पी—01 की देहाती नालसी पर हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये है किन्तु पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं किया जाना और बयान नहीं लिया जाने का कथन किया है। साक्षी को पक्षद्रोही करने के उपरांत किये गये सूचक प्रश्नों में साक्षी ने अभियोजन तथ्यों को पूर्णत अस्वीकार किया है तथा प्रदर्श पी—02 के कथन एवं प्रदर्श पी—03 के मौके नक्शे को भी समर्थन प्रदान नहीं किया है। तथा प्रतिपरीक्षण मे यह स्पष्ट कथन किया है कि आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की थी।

15— अभियोजन के द्वितीय महत्वपूर्ण साक्षी एवं आहत टीकाराम (अ.सा.क. —02) का कथन है कि आरोपीगण को व आहत मलखान एवं मनमोहन को जानता है। साक्षी का कथन है कि उसके साथ कोई घटना कारित नहीं हुयी है। घटना दिनांक को बहुत भीडभाड थी और वह भीड में गिर गया था जिससे चोट लग गयी थी। साक्षी ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि, पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं किया जाना और वयान नहीं लिया जाने का कथन किया है। साक्षी को पक्षद्रोही करने के उपरांत किये गये सूचक प्रश्नों में साक्षी ने अभियोजन तथ्यों को पूर्णत अस्वीकार किया है तथा प्रदर्श पी—04 के कथन पुलिस को नहीं दिया व्यक्त किया है तथा प्रतिपरीक्षण मे यह स्पष्ट कथन किया है कि आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की थी।

16— अभियोजन साक्षी मनमोहन (अ.सा.क.—03) का कथन है कि आरोपीगण को व आहत मलखान एवं टीकाराम को जानता है। साक्षी का कथन है कि उसके साथ कोई घटना कारित नहीं हुयी है। घटना दिनांक को बहुत भीडभाड थी और वह भीड में गिर गया था जिससे चोट लग गयी थी। साक्षी ने न्यायालय के समक्ष यह

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

कथन किया है कि, पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं किया जाना और बयान नहीं लिया जाने का कथन किया है। साक्षी को पक्षद्रोही करने के उपरांत किये गये सूचक प्रश्नों में साक्षी ने अभियोजन तथ्यों को पूर्णत अस्वीकार किया है तथा प्रदर्श पी–05 के कथन पुलिस को नहीं दिया व्यक्त किया है तथा प्रतिपरीक्षण मे यह स्पष्ट कथन किया है कि आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की थी।

17– अभियोजन के अन्य महत्वपूर्ण साक्षी चंद्रपाल (अ.सा.क.–04) के द्वारा भी अभियोजन तथ्यों का समर्थन नहीं किया है तथा प्रदर्श पी–06, 07, 08 के मेमोरेण्डम कथन उसके समक्ष नहीं दिया जाना व्यक्त किया है तथा प्रदर्श पी–09, 10, 11, 12, 13 की जप्ती की कार्यवाही को भी लेशमात्र भी समर्थन प्रदान नहीं किया है। साक्षी द्वारा प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–23 के गिरफतारी पत्रक पर हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये है किन्तु गिरफतारी का समर्थन साक्षी द्वारा नहीं किया गया है। अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करने के उपरांत किये गये सूचक प्रश्नों में भी साक्षी ने अभियोजन के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्तगण से कोई भी हथियार की जप्ती भी नहीं होना व्यक्त किया है।

18– इसी प्रकार अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षी दयाशंकर (अ.सा.क.–05) के द्वारा भी अभियोजन तथ्यों का समर्थन नहीं किया है तथा प्रदर्श पी–06, 07, 08 के मेमोरेण्डम कथन उसके समक्ष नहीं दिया जाना व्यक्त किया है तथा प्रदर्श पी–09, 10, 11, 12, 13 की जप्ती की कार्यवाही को भी लेशमात्र भी समर्थन प्रदान नहीं किया है। साक्षी द्वारा प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–23 के गिरफतारी पत्रक पर हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये है किन्तु गिरफतारी का समर्थन साक्षी द्वारा नहीं किया गया है। अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करने के उपरांत किये गये सूचक प्रश्नों में भी साक्षी ने अभियोजन के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्तगण से कोई भी हथियार की जप्ती भी नहीं होना व्यक्त किया है।

19– उक्त स्थिति में मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–06 लगायत प्रदर्श पी–08, जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी–9 लगायत प्रदर्श पी–13 तथा गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–14 लगायत 23 संदेहास्पद हो जाते है।

20– अभियोजन साक्षी गोविंद अ.सा.क–06 के द्वारा मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–24 लगायत प्रदर्श पी–27 को समर्थन प्रदान नहीं किया है और साक्षी ने अपने समक्ष किसी भी आरोपी से कोई पूछताछ नहीं किया जाना व्यक्त किया है। साक्षी को

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

पक्षद्रोही किये जाने के उपरांत किये गये सूचक प्रश्नों में भी साक्षी ने अभियोजन तत्वों का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी भास्कर अ.सा.क्र–08 द्वारा अभियोजन के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है और पुलिस कथन प्रदर्श पी–29 नहीं दिया जाना व्यक्त किया है। साक्षी देवेन्द्र अ.सा.क्र–09 का भी अभियोजन के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है और प्रदर्श पी–30 के पुलिस कथन पुलिस को नहीं दिया जाना व्यक्त किया है। साक्षी को पक्षद्रोही किये जाने के उपरांत किये गये सूचक प्रश्नों में भी साक्षी ने अभियोजन तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

21– अपराध की विवेचना अधिकारी एन.एस.परिहार अ.सा.क्र–10 दिनांक 14.08.2017 को थाना उदयपुरा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये फरियादी मलखान के अनुसार देहाती नालसी प्रदर्श पी–01 लेखबद्ध किया जाना तथा देहाती नालसी के आधार पर सहपदस्थ एस.आई हल्के प्रसाद वर्मा के द्वारा अपराध क्रमांक 241/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–31 लेखबद्ध किये जाना स्वीकार किया है। साक्षी द्वारा विवेचना के दौरान आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–06 लगायत प्रदर्श पी–08 एवं प्रदर्श पी–24 लगायत प्रदर्श पी–27 तथा मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–09 लगायत प्रदर्श पी–13 एवं प्रदर्श पी–28 तथा गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–23 तैयार किया जाना एवं उन पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। साक्षी द्वारा एम.ओ.–01 का देशी कट्टा एवं एम.ओ.–02 का कारतूस का खोखा जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–09 का तैयार किया जाना स्वीकार किया है। साक्षी द्वारा आरोपी दीपक से एक माउजर पिस्टल एम.ओ–03 तथा 04 जिंदा कारतूस एम.ओ–04 लगायत एम.ओ–07 जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–12 तैयार किया जाना स्वीकार किया गया है तथा आरोपी मनोज से 12 बोर का एक देशी कट्टा जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–11 का तैयार किया जाना स्वीकार किया है।

22– अभियोजन साक्षी श्याम सिंह अ.सा.क्र–07 द्वारा दिनांक 16.08.2017 को थाना उदयपुरा में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–24 उसके समक्ष लेखबद्ध कराया जाना एवं उस पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी द्वारा मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–25 लगायत प्रदर्श पी–27 भी उसके समक्ष लेखबद्ध कराया जाना स्वीकार किया है।

23– अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि, फरियादी स्वयं के द्वारा देहाती नालसी प्रदर्श पी–01 को समर्थन

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

प्रदान नहीं किया गया है, जिससे प्रदर्श पी–01 की देहाती नालसी संदेहास्पद हो जाती है। प्रदर्श पी–02 का मौका नक्शा का समर्थन भी फरियादी द्वारा नहीं किया गया है। साक्ष्य परिशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–06 लगायत प्रदर्श पी–08 तथा जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–09 लगायत प्रदर्श पी–13 व गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–23 के स्वतंत्र साक्षी चंद्रपाल एवं दयाशंकर उक्त दस्तावेजों का समर्थन नहीं करते है जिससे मेमोरेण्डम जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

24– अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि मेमोरेण्डम कथन अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी–24 लगायत प्रदर्श पी–27 का समर्थन स्वतंत्र साक्षी भूरा और गोविंद के द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है जिससे युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है और उक्त दस्तावेज युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं पाये जाते है।

25– प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–31 का मूल आधार प्रदर्श पी–01 की देहाती नालसी है, जिसका समर्थन सूचनाकर्ता मलखान अ.सा.क्रं–01 के द्वारा नहीं किया गया है, जिससे देहाती नालसी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दोनों की अंतरवस्तु प्रमाणित होना नहीं पायी जाती है। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक 14.08.2017 को शाम 05:00 बजे लेखबद्ध की गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक को ही 23:20 बजे लेखबद्ध की गयी है।

26– प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 15.08.2017 को अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–24 लगायत प्रदर्श पी–27 लेख किये गये जिनका समर्थन स्वतंत्र साक्षी भूरा उर्फ गोविंद द्वारा नहीं किया गया। मेमोरेण्डम लेखबद्ध किये जाने का स्थान थाना उदयपुरा है। मेमोरेण्डम कथन की अंतरवस्तु को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं किया गया है। अभिलेख के परिशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि जप्ती की कार्यवाही दिनांक 14.08.2017 को की जा चुकी थी। जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी–09 लगायत प्रदर्श पी–13 में दिनांक 14.08.2017 समय 21:10 बजे से 22:20 बजे के मध्य का लेख है। जबकि मेमोरेण्डम कथन दिनांक 15.08.2017 को लेखबद्ध किये गये। उक्त परिस्थितियॉ युक्तियुक्त संदेह को दर्शित करती है। उक्त जप्तशुदा अवैध हथियार किस व्यक्ति से प्राप्त किये गये तथा किस स्थान से क्रय किये गये, इस संबंध में

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

विवेचना मौन है इससे युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है। अभिलेख के समस्त महत्वपूर्ण साक्षीगण पक्षद्रोही रहे है और अभियोजन तत्वों का समर्थन नहीं करते है। अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत विधिपूर्ण विरूद्ध जमाव का घटना किया, अवैध रूप से घातक हथियारों का रखा जाना तथा बिना लायसेंस के अवैध तलवार एवं देशी कट्टे व माउजर को अपने आधिपत्य में रखे जाने के संबंध में कोई भी तात्विक विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विरोधाभासी उपधारणा निर्मित हो।

27— Hon'ble Apex court held in the case of **Paramjeet Singh Vs. State of Uttrakhand, AIR 2011 SC 200** that Their evidence need not to be rejected embloc but should be considered with caution when the witness was declared hostile at the instance of the public prosecutor and he was allowed to cross examine the witness furnishes no justification for rejecting embloc the evidence of the witness. However, the court has to be very careful, as prima facie, a witness who makes different statements at different time, has no regard for the truth. His evidence has to be read and considered as whole with a view to find out whether any weight should be attached to it. The court should be show to act on the testimony of such a witness; normally, it should look for corroboration to his testimony. प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियों में किसी भी अभियोजन के प्रत्यक्ष साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से आहत सहित समस्त महत्वपूर्ण एवं तात्विक साक्षी पक्षद्रोही रहे हैं और अभियोजन तथ्यों का समर्थन नहीं करतें हैं। अभियोजन द्वारा साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित करने के उपरांत भी किये गये सूचक प्रश्नों में ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है, जिसके आधार पर आरोपित अपराधों के संबंध में कोई विरोधाभासी उपधारणा, अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्मित हो।

28— अभियुक्तगण के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 294 भा. दंवि. के आरोप भी विरचित किये गये थे। उक्त संबंध में हस्तगत अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि, भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 294** उपबंधित करती हैं कि :— **Obscene acts and songs** —Whoever, to the annoyance of others, (a) does any obscene act in any public place, or (b) sings, recites or utters any obscene song, ballad or words, in or near any public place, shall be

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

29— अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि, घटना दिनांक को अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान पर किया जाना एवं उक्त अश्लील शब्दों के उच्चारण से आहतगण एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित होने की विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। धारा 294 भा.दं.वि. की प्रयोज्यता के लिये आवश्यक है कि, अपराध के तत्व युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित किये जायें। मात्र अश्लील गालियों का उच्चारण धारा 294 भा.दं.वि. की परिधि में अपराध को स्वमेव प्रमाणित नहीं करता है।

30— Hon'ble Apex court held in the case of **Ashish Batham Vs. State of M.P.- AIR 2002 SC 3206** that Mere suspicion, however, strong or probable it may be, is no effect substitute for the legal proof required to substantiate the charge of commission of a crime. Graver the charge, greater has to be the standard of proof. Courts dealing with criminal cases at least should constantly remember that there is a long mental distance between "may be true" and "must be true".

31— साक्ष्य परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 147, 148, 149, 294 भारतीय दण्ड संहिता एवं 25 (1—बी) (बी) एवं 25 (1—बी) (ए) आयुध अधिनियम अपराध के तथ्य युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नही किये गये है। राजीनामा अभिलेख पर प्रस्तुत है। अभियोजन का महत्वपूर्ण दायित्व था कि वह अपराध व अपराध के तथ्यों को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करता। अभियेाजन के द्वारा मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त संदेह का लाभ अभियुक्तगण को प्रदान किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—6 के संबंध में

32— अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि धारा 147, 148 भा.दं.वि. एवं धारा 25 (1—बी) (बी) एवं 25 (1—बी) (ए) आयुध अधिनियम के अपराध के तत्वों को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करे। फलतः अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण एवं परिशीलन कर

5/10/23
अपर सत्र न्यायाधीश बरेली
जिला रायसेन (म.प्र.)

संदेह का लाभ देकर अभियुक्त **नवीन जाट, मनोज कुमार, याशीन, संदीप, सुनील जाट, कृष्ण शर्मा, दीपक जाट, राहुल शर्मा, मंदीप जाट** को **धारा 294, 147, 148, 149 भा.दं.वि.** एवं **अभियुक्त याशीन को धारा 25 (1–बी) (बी) आयुध अधिनियम** एवं **अभियुक्त मंदीप जाट, दीपक एवं मनोज धारा 25 (1–बी) (ए) आयुध अधिनियम** के अपराधों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

33— अभियुक्तगण **नवीन जाट, मनोज कुमार, याशीन, संदीप, सुनील जाट, कृष्ण शर्मा, दीपक जाट, राहुल शर्मा, मंदीप जाट** के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी छः माह की अवधि के लिये धारा 437 (ए) भा.दं.वि. के अंतर्गत प्रभावी होगें, तदोउपरांत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत न किये जाने की दशा में भारमुक्त माने जायेगें।

34— **प्रकरण में एक अभियुक्त रोहित जाट फरार है इस कारण प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में कोर्ट द्वारा आदेश प्रदान नहीं किया जा रहा है।**

35— अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

36— धारा 365 दं.प्र.सं. के प्रावधानांतर्गत निर्णय की एक प्रति, ई–कोर्ट प्रणाली के अंतर्गत, ई–मेल द्वारा जिला दण्डाधिकारी रायसेन को प्रेषित की जाये।

37— **प्रकरण नष्ट न करने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जावे।**

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।	मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
5/10/23	5/10/23
(सुधांशु सक्सेना) अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) अपर सत्र न्यायाधीश बरेली जिला रायसेन (म.प्र.)	(सुधाशु सक्सेना) अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) अपर सत्र न्यायाधीश बरेली जिला रायसेन (म.प्र.)

अपर सत्र न्यायाधीश बरेली जिला रायसेन (म.प्र.)